भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1815

जिसका उत्तर 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

कोयला खानों का पुन: आवंटन

1815. श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री नायब सिंह सैनी:
श्री रवि किशन:
श्री मनोज तिवारी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री जॉन बर्ला:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया ने कोयला खानों के पुन: आवंटन/घाटे की भरपाई के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आज की तिथि तक कोयला खानों के पास असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे परिवारों के पुनर्वास पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) पुनर्वास की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): कोयला खानों का पुन: आवंटन कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

(ख): उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग): अनुमोदित वृहद योजना के अनुसार, 33196 गैर-ईसीएल परिवार रानीगंज कोलफील्ड्स में रह रहे हैं। इसके अलावा, झरिया में 79159 परिवार थे जिनमें से 6241 को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(घ): ईसीएल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्वास पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
आरएण्डआर के लिए खर्च (करोड़ रूपए में)	51.57	54.55	38.55

बीसीसीएल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्वास पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
आरएण्डआर के लिए खर्च (करोड़ रूपए में)	115.11	108.46	126.33

(ङ.): असुरक्षित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पुनर्वासित करने की दृष्टि से, बीसीसीएल और ईसीएल के लीज़ होल्ड में आग, धंसाव और पुनर्वास से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2009 में एक वृहद योजना अनुमोदित की गई थी। वृहद योजना में इसके कार्यान्वयन के लिए बीसीसीएल के लिए 12 वर्ष की अवधि और ईसीएल के लिए 10 वर्ष की अवधि की परिकल्पना की गई है। बीसीसीएल मकानों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी बीसीसीएल की होगी जबकि अतिक्रमणकर्ताओं सहित गैर-बीसीसीएल मकानों की जिम्मेदारी झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए), झारखण्ड सरकार की होगी। गैर-ईसीएल मकानों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की पहचान की गई है।

दोनों वृहद योजनाओं की कार्यान्वयन गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए, सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति (एचपीसीसी) का गठन किया गया है। तदनुसार, दोनों वृहद योजनाओं के कार्यान्वयन की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए जुलाई, 2020 तक एचपीसीसी की 21 बैठकें हुई थीं।

*****